राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 122वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 122वीं बैठक दिनांक 11/05/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देबाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 403वीं बैठक दो दिवसीय दिनांक 30/03/2022 एवं 31/03/2022 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1373)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी / 169019/2020, दिनांक 20/08/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी / 226873/2021, दिनांक 30/08/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – उद्योग ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन के स्थान पर सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है।

पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 29/05/2021 को मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु जारी की गई है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के साथ आयोजित आगामी माह के बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम. पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन **के स्थान पर** सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	As per EC Dated 29/05/2021		After Amendment	
		Area (in Acres)	Area (%)	Area (in Acres)	Area (%)
1	Plant Area	2.24	31.02	1.90	26.32

2	Parking Area	0.91	12.60	0.91	12.60
3	Green Belt Area	2.98	41.28	2.98	41.27
4	Open Area	0.62	8.59	0.96	13.30
5	Road Area	0.47	6.51	0.47	6.51
Total		**7.22**	**100**	**7.22**	**100**

3. परियोजना संबंधी विवरण –

S.No.	Configuration	As per EC Dated 29/05/2021	After Amendment
1	Grinding Unit	5 x 200 TPD	2 x 500 TPD
2	Production	1000 TPD	1000 TPD (No Change)
3	Land Area	7.22 Acres	7.22 Acres (No Change)
4	No. of Ball Mill	5	2
5	No. of Feed point	5	2
6	No. of discharge point	5	2
7	No. of stacks	3	1
8	Hight of Stack	30 m	30 m
9	PM Emission	1.58 g/sec or 5.68 kg/hr	0.82 g/sec or 2.95 kg/hr
10	PM Emission	44,986 kg/annum	23,364 kg/annum
11	Green Belt Area	2.98 Acres (41.2%)	2.98 Acres (41.2%) (No Change)
12	Plant Machinary Area	2.24 Acre	1.90Acre
13	Electricity Consumption per Day	40,000 Unit	36,000 Unit
14	Water requirement	25 M^3/day	22 M^3/day
15	Rain water harvesting structure	13 Nos.	13+3* Nos. (*for additional 3 Nos. pits in Admin block area)
16	Project Cost	10 Crore	9.35 Crore
17	Production cost	600 PMT	570 PMT
18	Manpower requirement	140	140 (No Change)
19	Raw material Quantity	1,000 TPD	1,000 TPD (No Change)
20	Process Waste Generation	Nil	Nil
21	Waste water Generation	5 KLD	4 KLD
22	Waste water treatment capacity	8 KLD capacity STP	8 KLD capacity STP (No Change)
23	Particulate matter Emission	30 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3
24	Fugitive Emission	Nos. of Raw Material & final Product Transfer Point 5 Nos.	Transfer Points 2 Nos. (Fugitive Emission will be decreased)
25	CER Cost	20 Lakhs	20 Lakhs (No Change)

26	EMP Cost	0.8 Crore	0.8 Crore (No Change)
27	Project Cost	10 Crore	9.35 Crore

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/05/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन"

के स्थान पर

"सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन" संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

2. मेसर्स श्री अशोक अग्रवाल (पचपेड़ी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–पचपेड़ी, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1856)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242292/2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पचपेड़ी, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 623/3, 624/2(पार्ट) एवं 625/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.035 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पचपेड़ी का दिनांक 03/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5331/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नया रायपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 582/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 14/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 34 खदानें, रकबा 43.277 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1514/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1440/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 25(पार्ट–2)/1646 खैरागढ़, दिनांक 23/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 23 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पचपेड़ी 400 मीटर, स्कूल ग्राम–पचपेड़ी 760 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–पचपेड़ी 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,21,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,13,532 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,02,857 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,280 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 7,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र

में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 562/ख. लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 14/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 34 खदानें, रकबा 43.277 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पचपेड़ी) का रकबा 1.035 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पचपेड़ी) को मिलाकर कुल रकबा 44.312 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the quantity of water, source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

3. मेसर्स बिटकुली लाईम स्टोन माईन, (प्रो.– श्री खेमलाल वर्मा), ग्राम–बिटकुली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 704)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 74448/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242803/ 2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान ग्राम–बिटकुली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 387, 401/1, 2, 3, 402/7, 8, 9, कुल लीज क्षेत्रफल 4.196 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 77,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 328, दिनांक 04/12/2018 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि किये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:-

1. ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 15/05/2019 को प्रस्तुत किया गया था।
2. कोरोना (कोविड-19) के कारण लोक सुनवाई का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। अतः टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के.एल. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि टी.ओ.आर. की वैधता 03 साल अर्थात् दिनांक 03/12/2021 तक थी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 751(अ) दिनांक 17/02/2020 के अनुसार **"संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए जारी विचारार्थ विषय की वैधता जारी होने की तारीख से 04 वर्ष की होगी।"** का उल्लेख है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार **"उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त संदर्भ की शर्तों के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे।"** का उल्लेख है।
4. उक्त अधिसूचना के अनुसार टी.ओ.आर. की वैधता दिनांक 03/12/2022 तक होगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** टी.ओ.आर. की वैधता दिनांक 03/12/2022 तक किये जाने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में वैधता वृद्धि जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में वैधता वृद्धि पत्र जारी किया जाए।

4. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पुरूषोत्तम जुमनानी), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 244096/2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1981, 1982/2, 1983/1 एवं 1988/2, कुल क्षेत्रफल–2.79 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 28,875 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 511, दिनांक 26/02/2018 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थापित क्रशर का स्थान परिवर्तन करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार जुमनानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1981, 1982/2, 1983/1 एवं 1988/2, कुल क्षेत्रफल – 2.79 हेक्टेयर, क्षमता – 28,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनि/तीन–6/2021/क्यू रायपुर, दिनांक 02/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (टन)
13/02/2018 से 31/12/2018	निरंक
01/01/2019 से 31/12/2019	9,100
01/01/2020 से 31/12/2020	17,000
01/01/2021 से 30/06/2021	2,500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 09/06/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्रशर हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड रिजर्व कैलकुलेशन पैप्टर–4 एण्ड जियोलॉजिकल मैप विथ जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्सन प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/540/ख.लि./तीन–6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 13/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर, के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2021/क्यू रायपुर, दिनांक 08/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 31.467 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 08/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री पुरूषोत्तम जुमनानी के नाम पर है। लीज दिनांक 13/02/2018 से 12/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./3511 रायपुर, दिनांक 22/11/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नरदहा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–नरदहा 3.7 कि.मी. एवं अस्पताल–नरदहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.5 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 60 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,46,240 टन, माईनेबल रिजर्व 2,32,750 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,09,475 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,708 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसके स्थान परिवर्तन के उपरांत क्रशर का क्षेत्रफल 3,672 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	22,750
द्वितीय	24,500
तृतीय	26,375
चतुर्थ	27,125
पंचम	28,875

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	18,375
सप्तम	19,250
अष्टम	21,000
नवम	21,875
दशम	23,625

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,177 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,708 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तर–पूर्व दिशा में 531.5 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 386 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 2,752.5 घनमीटर क्षेत्र उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं लीज क्षेत्र में स्थापित क्रशर के स्थान परिवर्तन के कारण रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(ii) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2021/क्यू रायपुर, दिनांक 08/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 31.467 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) का रकबा 2.79 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 34.257 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को

पहुंचाई गई क्षति हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निरीक्षण उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का समुचित पालन नहीं किये जाने की स्थिति में भावी निर्णय उसी अनुरूप लिये जाएगें।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Gram Pachayat NOC for Crusher in Lease Area.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

vii. Project proponent shall submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly due to replacing the area of crusher.

viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit the compliance report of previous Environment Clearance.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/05/2022 के माध्यम से नवीन माईनिंग प्लान के साथ चूना पत्थर (गौण खनिज), उत्खनन क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पुनः आवेदन किये जाने के कारण आवेदित प्रकरण को डिस्ट्रॉल/निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर्स (पार्टनर– श्री हरीश शाह, धौराभाठा डोलोमाईट माईन), ग्राम–धौराभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1864)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69946/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 25, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2 एवं 29/3, कुल क्षेत्रफल–3.653 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,00 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरिश कुमार साहू, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौरामाठा का दिनांक 20/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5062/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.न. 08/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1866/ख.नि/न.क्र. 19/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 5 खदानें, क्षेत्रफल 15.749 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1866/ख.नि/न.क्र. 19/2021, बिलासपुर, दिनांक 27/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–3/2018/12, नवा रायपुर दिनांक 15/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पार्टनर डीड (श्री हरिश कुमार शाह, श्री सतीश कुमार शाह एवं श्री गिरीश कुमार शाह पार्टनर है) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 25, 26/2, 29/1, 29/2 मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर्स, खसरा क्रमांक 27 श्री मोहन, खसरा क्रमांक 28 श्री छोटकु, खसरा क्रमांक 29/3 श्रीमती सोनकुंवर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमण्डल जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4163 बिलासपुर, दिनांक 05/11/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौराभाठा 800 मीटर, स्कूल ग्राम–धौराभाठा 1.49 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–धौराभाठा 1.35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 39,45,799 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,78,277 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,773 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 39 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर से 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। प्रस्तुतीकरण के दौरान मूवेबल (Movable) क्रशर का उपयोग किया जाना बताया गया। रॉक ब्रेकर का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	70,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	1,00,000
पंचम	1,50,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1866 / खनि / न.क्र. 19 / 2021, बिलासपुर, दिनांक 27 / 09 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 5 खदाने, क्षेत्रफल 15.749 है। आवेदित खदान (ग्राम–धौराभाठा) का रकबा 3.653 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धौराभाठा) को मिलाकर कुल रकबा 19.402 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the Quantity of top soil / over burdan, top soil / over burdan management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

   v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

   vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

6. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1563)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61066/2021, दिनांक 22/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/61066/2021, दिनांक 30/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,39,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एसीरिस इन्वायरोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अमित शाह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 08/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. क्रमांक क./ख.नि./तीन–6/ई–निविदा/2018/1081(2) रायपुर, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1281/ख.नि./तीन–6/उ.प./2020 रायपुर, दिनांक 19/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री त्रिपतपाल सिंह एवं मनजीत कौर भुहि के नाम पर है। खसरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 746, 750, 751, 752, 748 एवं 753 श्री त्रिपतपाल सिंह, मनजीत कौर भुहि, श्री अनमोल सिंह एवं श्री हरनेक सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा/2700 रायपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. से 6 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 250 मीटर, स्कूल ग्राम–धनसुली 250 मीटर एवं अस्पताल मंदिर हसौद 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.1 कि.मी. दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,27,500 टन, माईनेबल रिजर्व 24,11,325 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,87,211 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 12,698 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	–
द्वितीय	2,38,012
तृतीय	2,38,012
चतुर्थ	2,38,012
पंचम	2,38,012
षष्ठम	2,38,012
सप्तम	2,38,012

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 1 प्रतिशत माईनिंग लॉस दर्शाते हुये रिकव्हरेबल रिजर्व (23,87,211 टन) की गणना की गई है, जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से 1 प्रतिशत माईनिंग लॉस होना उपयुक्त नहीं है। समिति का मत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लॉस माने जाने पर रिकव्हरेबल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षों हेतु खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही विचार किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.21 से 33.56 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 50.88 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.12 से 14.79 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 8.43 से 17.67 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 45.7 डीबीए से 48.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 37.23 डीबीए से 39.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 274 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 309 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

18. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 07/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान–पंचायत भवन, ग्राम पंचायत धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या वृक्षारोपण किये जायेगें।

ii. हैवी ब्लास्टिंग होने से गांव के मकानों एवं समीप में स्थित तालाब को क्षति होगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षों का रोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

ii. हैवी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर 30 से 40 स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 87 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल

मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 1.5 कि.मी. तक पहुँच-मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु अनुमानित राशि 50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VI. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 34,05,250/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 6,25,150/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,09,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 5,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के पहुँच मार्ग में (2,100 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 5,08,000/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 3,81,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 90,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 10,99,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 87 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
210.84	2%	4.21	Following activities at 2 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.37
			Potable Drinking water Facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	1.35
			Total	**4.22**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–धनसुनी एवं (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बाराडेरा में किया जाएगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग रुपये 210.8 लाख है। विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (खसरावार सहित) एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 186.68 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. एल.ओ.आई. की क्षेत्रफल वृद्धि बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 35/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये जिला कार्यालय (खनिज शाखा) रायपुर के पत्र दिनांक 03/08/2018 जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन (पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत) पुनरीक्षणकर्ता श्री त्रिपतपाल सिंह भुई प्रो. छत्तीसगढ़ मिनरल शंकर नगर रायपुर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–6–42/2012, दिनांक 26.06.2020 के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।
4. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर होगा, जिसमें से 12,697.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 3,170 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं के भूमि (खसरा क्रमांक 883, क्षेत्रफल 2.06 हेक्टेयर) में भंडारित किया जाएगा।
5. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है।
7. पूर्व में चाही गई वांछनीय बिन्दु क्रमांक 4, 8, 9 एवं 10 की जानकारियां प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई वांछनीय बिन्दु क्रमांक 4, 8, 9 एवं 10 की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री त्रिपतपाल सिंह एवं मनजीत कौर भुहि के नाम पर है। खसरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 748, 750, 751, 752, 748 एवं 753 श्री त्रिपतपाल सिंह, मनजीत कौर भुहि, श्री अनमोल सिंह एवं श्री इरनेक सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 79,375 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,23,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 4,76,250 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,78,625 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत् 500 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 42,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,35,000 रूपये 3 वर्ष में घटकवार व्यय किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.नि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से

500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 4.97 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 171.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति का मत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लॉस माने जाने पर रिकवरेबल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षों हेतु खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी) की ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर, क्षमता – 2,29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक सोनी), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1862)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69976/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 800 घनमीटर (2,000 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष सोनी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 09/07/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5528/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 26/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – खनि अधिकारी, जिला–महासमुन्द, दिनांक 20/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री रोहित कुमार सिन्हा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 01/09/2006 को श्री अभिषेक सोनी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/07/2005 से 17/07/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। अवधि विस्तार के संबंध में खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अपील क्रमांक एफ 4–37/2019/12 के अनुसार अपीलार्थी श्री अभिषेक सोनी आत्मज श्री पी.एम.सोनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय, जिला–महासमुंद में गौण खनिज फर्शीपत्थर के उत्खनि पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति के संबंध में अपिलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/907/क/ख.लि./उ.प./न.क्र. 59/2015 महासमुंद, दिनांक 25/06/2021 के अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 23/03/2016 के नियम 38क (3) एवं (4) के तहत् उत्खनन पट्टो की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु पूरक अनुबंध किये जाने के संबंध में संचालक एवं भौमिकी खनिकर्म, रायपुर पत्र क्रमांक 2903–29/ख.नि.4/न.क्र.05/2015 दिनांक 07/06/2016 के निर्देश में निहित 4.1 से 4.4 उत्खननपट्टो के

प्रकरणों का निम्न कंडिकाओं अनुसार परीक्षण उपरांत ही उत्खननपट्टा की अवधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति के फलस्वरूप किया जावेगा:–

4.1 उत्खननपट्टाधारी द्वारा पट्टे के शर्तों एवं निबंधनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उत्खननपट्टा विरूद्ध यदि कोई शर्त उल्लंघन के कारण, कारण बताओं नोटिस की कार्यवाही लंबित हो तो उक्त उल्लंघन के निराकरण पश्चात् ही पट्टा समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाये।

4.2 छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51(6) के तहत उत्खननपट्टा व्यपगत (लैप्स) की श्रेणी में नहीं आ रहा हो।

4.3 उत्खननपट्टे का उत्खनन योजना अनुमोदित हो तथा पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो।

4.4 उत्खननपट्टाधारी पर किसी भी प्रकार का खनिज राजस्व बकाया न हो।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर उत्खनिपट्टा लीज विस्तारीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाएगा" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 200 मीटर एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 200 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। महानदी 390 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 57,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 19,285 टन एवं रिकवरेबल 14,464 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,837
द्वितीय	1,837
तृतीय	1,837
चतुर्थ	1,837

पंचम	2,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	1,837
सप्तम	1,837
अष्टम	1,750
नवम	1,837
दशम	2,000

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 575 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 360 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 1,800 घनमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 14.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

   v. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do

plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA rport.

vi. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

vii. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बी.एम. मिनरल्स (प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा), ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1865)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /69975/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 317, कुल क्षेत्रफल–1.76 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–42,120 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.डी.ताजुद्दीन अंसारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोदवा का दिनांक 22/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2737/खनि/डोलोमाईट उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 97/खनि.लि/उ.प./डोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 11.805 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 98/खनि.लि/उ.प./डोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि मेसर्स बी.एम. मिनरल्स के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 579/खनि.लि./डोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 31/10/2020 द्वारा जारी

की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी के ज्ञापन क्रमांक/112, दिनांक 08/02/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोदवा 570 मीटर, स्कूल ग्राम–कोदवा 700 मीटर एवं अस्पताल बेमेतरा 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 260 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,16,040 टन, माईनेबल रिजर्व 4,60,200 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,14,180 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,750 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,425 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.64 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,100
द्वितीय	42,120
तृतीय	40,404
चतुर्थ	41,028
पंचम	37,284

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	41,730
सप्तम	41,340
अष्टम	40,560
नवम	39,780
दशम	35,880

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.125 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,188 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में शामिल मेसर्स शुभम मिनरल्स द्वारा एकत्र की गई बेसलाईन डाटा का उपयोग इस परियोजना में भी किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में एकत्रित बेसलाईन डाटा जिन संस्थाओं द्वारा ली गई है, उनका सहमति पत्र एवं मेसर्स शुभम मिनरल्स के परियोजना प्रस्तावक का सहमति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः सहमति पत्र प्राप्ति उपरांत ही बेसलाईन डाटा का उपयोग किया जा सकता है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 97 / खनि. लि / उ.प. / डोलोमाईट / 2021 बेमेतरा, दिनांक 16 / 06 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 11.805 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोदवा) का रकबा 1.76 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोदवा) को मिलाकर कुल रकबा 13.565 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्मस ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report or Project proponent shall submit the consent copy of the Project proponent of M/s Shubham Minerals and that institute collected baseline data for EIA.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the copy of LOI extension.

v. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

vi. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

9. मेसर्स सेलूद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री श्याम शर्मा), ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1866)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/69986/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 303/1, 304 एवं 307/1, कुल क्षेत्रफल–1.48 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,206 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेलूद का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 945/खनि.अनु–01/2021 दुर्ग, दिनांक 16/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1650(ए)/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रकबा 9.177 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1650(ए)/खनि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 124/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 19/05/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/859 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 26 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेलूद 820 मीटर, स्कूल ग्राम–सेलूद 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल सेलूद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 370 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,22,000 टन, माईनेबल रिजर्व 43,388 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 48,209 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,588 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 6,547.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	6,000
सप्तम	6,000
अष्टम	6,206

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,647 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,847 वर्गमीटर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया

जाएगा, इस हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। इस हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 22/02/2022 को सूचना दी गई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1650(ए)/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रकबा 9.177 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) का रकबा 1.48 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) को मिलाकर कुल रकबा 10.657 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

iv. Project proponent shall submit the revised mining plan without incorporating the crusher.

v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

10. मेसर्स सेलूद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री हिमांशु बघेल), ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1867)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/70020/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 324/2, 325 एवं 326, कुल क्षेत्रफल–1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हिमांशु बघेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेलूद का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 926/खनि.अनु–01/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, रकबा 9.527 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 126/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 19/05/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4303 दुर्ग, दिनांक 14/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेलूद 820 मीटर, स्कूल ग्राम–सेलूद 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल सेलूद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 370 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,81,375 टन, माईनेबल रिजर्व 1,02,097 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 91,887 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,722 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 10,328 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। ब्रेक हैमर से ड्रिलिंग एवं

ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,104 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। इस हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 21/02/2022 को सूचना दी गई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रकबा 9.527 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) का रकबा 1.13 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) को मिलाकर कुल रकबा 10.657 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

iv. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

11. मेसर्स श्री पारसनाथ मिनरल्स (पार्टनर– श्री रूपेश कुमार जैन, किरारी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1868)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 244382/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक

793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, कुल क्षेत्रफल–2.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश कुमार जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 793/1 एवं 793/9 कुल क्षेत्रफल – 1.823 हेक्टेयर, प्रथम वर्ष में अधिकतम क्षमता – 14,250 टन प्रतिवर्ष तथा शेष वर्षों में क्षमता माईनिंग प्लान अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई।
   ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
   iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का दिनांक 18/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 325/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5928/ख.नि./न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें रकबा 117.526 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5174/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 4900/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि मुकेश कुमार एवं रूपेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6768 चांपा, दिनांक 20/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 20 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किसारी 1.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–किसारी 3.5 कि.मी. एवं अस्पताल अकलतरा 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। नहर 50 मीटर एवं बरसाती नाला 115 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,51,262 टन, माईनेबल रिजर्व 10,27,287 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,75,923 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,180 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,170 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौडाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,44,934.38
द्वितीय	1,46,276.25
तृतीय	1,48,093.13
चतुर्थ	1,00,035.00
पंचम	1,00,106.25

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	99,750.00
सप्तम	1,00,462.50
अष्टम	1,00,070.63
नवम	18,166.75
दशम	18,026.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.81 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,032 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप पर लीज क्षेत्र से 40 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला होना पाया गया। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से बरसाती नाला तक कुल 50 मीटर की दूरी छोड़ते हुए, लीज क्षेत्र में 10 मीटर बरसाती नाला के तरफ ब्लॉक करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5928/ख.लि./न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें, रकबा 117.526 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) का रकबा 2.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) को मिलाकर कुल रकबा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit point wise compliance report of previous Environmental Clearance.

v. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan maintaining minimum 50 meter distance from the seasonal nallah and accordingly submit the reserve calculations.

vi. Project proponent shall submit the copy of partner deed.

vii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the details of crusher with capacity and air pollution control arrangement in crusher.

xiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. आवेदित प्रकरण को पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 793/1 एवं 793/9, कुल क्षेत्रफल–1.823 हेक्टेयर, प्रथम वर्ष में अधिकतम क्षमता – 14,250 टन प्रतिवर्ष तथा शेष वर्षों में क्षमता माईनिंग प्लान अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई थी। वर्तमान में खसरा क्रमांक 793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, कुल क्षेत्रफल–2.87 हेक्टेयर, चूना पत्थर उत्खनन क्षमता–1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। इस प्रकार यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत

सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री हर्षित शर्मा), ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1870)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70047/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 274/7, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हर्षित शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है

2. समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लालपुर का दिनांक 27/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन्स ऑफ द अप्रुव्हड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक,

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक रायपुर/ ग्रुप/ खनो–1288/ 2021–रायपुर/ 223, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.479 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि मे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज स्व. श्री योगेन्द्र शर्मा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 08/06/2020 को श्री हर्षित शर्मा के नाम पर किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/07/2002 से 29/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/07/2022 से 29/07/2052 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लालपुर 610 मीटर, स्कूल ग्राम–खुर्द 100 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–डोंदेखुर्द 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 270 मीटर दूर है। तालाब 740 मीटर एवं नहर 330 मीटर दूर है। बरसाती नाला 3.4 कि.मी. एवं खारून नदी 16 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 68,550 टन, माईनेबल रिजर्व 47,640 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 46,883 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,720 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 380 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.97 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)

2021–22	6,000
2022–23	5,640
2023–24	5,250
2024–25	5,600
2025–26	5,880

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 780 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,720 वर्गमीटर में से 2,380 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर 2021 से किये जाने हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 14/12/2021 को सूचना दी गई।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि क्लस्टर क्षेत्र में शामिल श्री अखिलेश कुमार सिंह, मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन को पूर्व में दिनांक 15/02/2019 को टी.ओ.आर. जारी की गई है। ई.आई.ए. स्टडी हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860 / खनि. / तीन–6 / 2021 रायपुर, दिनांक 28 / 09 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान है, जिसका क्षेत्रफल 4.479 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लालपुर) का रकबा 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लालपुर) को मिलाकर कुल रकबा 5.693 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं नोट किया गया कि भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में वर्ष 2012–13 से उत्पादन नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया।

"Project proponent shall submit previous year production details from mining department."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये सनुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए तथा प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

13. मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह (तरौद लाईम स्टोन माईन), ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1597)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/203140/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 885/1, 885/2 एवं 886/1घ, कुल क्षेत्रफल–1.311 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,542.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शांत कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तरौद का दिनांक 10/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रशर का उल्लेख नहीं है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 337/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5929/खनि./न.क./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदाने, रकबा 119.085 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5175/खनि./न.क./2020–21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 4904 / गौण खनिज / न.क्र. / 2020–21 जांजगीर, दिनांक 07 / 01 / 2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक / तक.अधि. / 6767 चांपा, दिनांक 20 / 10 / 2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 25 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तरौद 0.53 कि.मी., स्कूल ग्राम–तरौद 1 कि.मी. एवं अस्पताल अकलतरा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। तलाब 50 मीटर एवं नहर 215 मीटर दूरी है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,73,562 टन, माईनेबल रिजर्व 2,03,112 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,92,956 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 3,565 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,870 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,103.13
द्वितीय	30,542.50
तृतीय	30,281.25
चतुर्थ	14,962.50
पंचम	15,140.63

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	15,461.25

सप्तम	14,250.00
अष्टम	14,071.88
नवम	14,038.25
दशम	14,107.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5929/ख.लि./म.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें रकबा 119.085 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–तरौद) का रकबा 1.311 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–तरौद) को मिलाकर कुल रकबा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the copy of extended LOI.

v. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for Crusher.

vi. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

vii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

14. मेसर्स कृष्णा मिनरल्स (पार्टनर– श्री आनंद डालमिया एवं श्री कृष्णा अग्रवाल, किरारी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1599)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/203063/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 793/15, 793/18, 792/1, 791, 792/2, 792/3 एवं 792/4, कुल क्षेत्रफल – 1.62 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–43,420.84 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

   समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक सहित पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रज्ञा.) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 333/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5930/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें, रकबा 118.776 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5172/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 4913/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 793/15, 793/18, 792/1 श्री कृष्णा अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 791, 792/2, 792/3, 792/4 श्री आनंद डालमिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./8000 चांपा, दिनांक 15/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरारी 1.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–किरारी 2.25 कि.मी. एवं अस्पताल अकलतरा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। नहर 50 मीटर दूरी है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,12,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,33,347 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,16,680 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,165 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 6,781.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	43,420.94
द्वितीय	43,420.94
तृतीय	39,992.63
चतुर्थ	39,850.13
पंचम	39,900.00

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	22,443.75
सप्तम	21,966.38
अष्टम	21,795.38
नवम	22,087.50
दशम	21,802.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 831 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 4,165 वर्गमीटर में से 1,528 वर्गमीटर क्षेत्र 8.5 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार –

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5930/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें रकबा 118.776 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) का रकबा 1.62 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरारी को मिलाकर कुल रकबा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

vi. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed extension.

viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हीट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	—	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	—	34,600
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600	—	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से बिलेट्स/इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लांट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण

दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनःपरीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री निखिल आहुजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Area	2,800	10.05
2.	Rolling Mill	4,000	15.02
3.	GI Pipes & Fabriction unit	4,868	18.23
4.	Raw Material Yard	2,000	7.51
5.	Finished material & slag yard	1,500	5.63
6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
	Total	**26,670**	**100**

2. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge Iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	36 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। गेल्वेनाइजिंग प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान

में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईकलर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर

के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. (02 नग x 75 के.वी.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/- जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	**10.64**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-खुडमुड़ी, (2) शासकीय शाला ग्राम-खांगेरपेट (3) शासकीय शाला

ग्राम–गोदामोर, (4) शासकीय शाला ग्राम–बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम–मूरकोनी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–माधी, (7) शासकीय शाला ग्राम–निनवा, (8) शासकीय शाला ग्राम–सनगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम–भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम–भेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन मे की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।
4. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।
3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 4,104 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 3,402 कि.ग्रा.

प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुन: कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुन:उपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (18,313 घनमीटर) का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

4. उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुन:उपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् उद्योग प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से दिनांक 08/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स कृष्णा आयरन स्टीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	—	34,600

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:—

1. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 16/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के उरला, सिलतरा एवं बोरझरा क्षेत्रों में नये स्पंज आयरन प्लांट एवं कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाबत् पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 07/07/2012 द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 16/06/2012 के कार्यवाही विवरण से अवगत कराते हुये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

2. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित री–हीटिंग फर्नेस एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत री–हीटिंग फर्नेस में वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट (7.06 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड) का डाटा समान लिया गया है, जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रदूषण भार की गणना का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी हेतु विद्युत खपत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किया जाना संभव नहीं है। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1560)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 60949/ 2021, दिनांक 18/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 60948/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/ इंगाट/हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट वार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी./वायर रॉड/पत्रा एवं अन्य री–रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गैल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईडिंग वायर, वेड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड ड्रिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी–1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष सौरभ कोठिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर बाईडिंग वायर, वेड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्डमेश, स्टे वायर, कोल्ड ड्रिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 10/09/2020 को जारी की गई है, जो उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–मेहर सखा 0.9 कि.मी., रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। कुल्हन नाला 5.1 कि.मी. की दूरी पर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर के प्रकरण क्रमांक 202102111000103/अ–2 वर्ष 2020–21, आदेश दिनांक 08/03/2021 द्वारा "भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये गये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है, जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है।" हेतु सूचना पत्र प्रारूप "अ" जारी किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से कवर्ड का क्षेत्रफल 2.86 हेक्टेयर, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) है।

5. **रॉ–मटेरियल** –

Quantity of Raw Material, Sources and Mode of Transport					
	Raw Material		Quantity (TPA)	Sources	Mode of Transport
1	For Induction Furnace (MS Billets / Ingots / Hot Billets) - 2,97,000 TPA				
A)	Sponge Iron		2,47,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
B)	Scrap		1,06,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
C)	Ferro Alloys		4,500	Raipur	By Road (through covered trucks)
2.	For Rolling Mill (TMT / Wire Rod / patra / and other Rerolled Products) – 2,91,750 TPA				
A)	MS Billets/ steel ingots		3,12,100	Own generation	-
3	Coal Gasifire (Producer gas - 6,500 Nm^3/ hour)				
A)	Coal	Indian Coal	21,500	SECL	By Rail & Road (through covered trucks)
		or			
		Imported Coal	13,700	Indonasia / Australia	By sea route, By Rail & Road (through covered trucks)

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit	Existing Capacity (TPA)	Proposed Additional Facilities	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace (MS Billets / Ingots Hot Billets)	30,000 (By 2x6 T Induction Furnace & 1x90 TPD Rolling Mill)	2,97,000 (6x15 T)	3,27,000 (2x6 T & 6x15 T)
2.	Rolling Mill (TMT / Wire Rod / Patra / and other rerolled products)		2,91,750 (Upgradation of 90 TPD to 325 TPD & New 2 x 325 TPD)	3,21,750 (3 x 325 TPD)
3.	Coal Gasifier	-	1 x 6,500 NM^3/Hr	1 x 6,500 NM^3/Hr
4.	Galvanising unit (HB wire, GI wire, Binding wire, Wed mesh, Chain Link, Barbed Wire, Weld Mesh, Stay Wire, Cold Dip, Rectifier, Wire Cloth)	1,00,000 TPA	-	1,00,000 TPA

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग एवं 15 प्रतिशत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ 3 नग बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 47 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। हॉट गैस फायरिंग के द्वारा प्रस्तावित गैसीफायर का संचालन किया जाएगा। फिनोलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Quantity (In TPA)	Method of Disposal
		From Induction Furnace	
1.	Slag	29,700	Slag from SMS will be Crushed and Iron will be recovered and remaining non magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road

			construction/ will be given to brick manufacturer.
From Rolling Mill			
1.	Mill Scales	3,501	Mill Scales will be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit.
2.	End Cuting	11,085	Recycled back as raw material in own induction furnace.
From Gasifier			
1.	Tar	461	Will be given to Tar recyclers/ Agencies Engaged in construction Activities/ given to nearby Pellet plant units.
2.	Cinder	9,680	Will be given to cement plant.

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 52 घनमीटर प्रतिदिन (गैल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 412 घनमीटर जल प्रतिदिन (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 130 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 190 घनमीटर प्रतिदिन, कोल गैसीफायर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, गैल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 15,130 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03 / 12 / 2023 तक है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार रोक जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 36,425 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) क्षेत्र में 20 मीटर से 40 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में 2,500 नग प्रति हेक्टेयर पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 12.6 से 39.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 20.7 से 65.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.2 से 10.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2m}$ 7.3 से 19.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 66.65 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 14.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एनओ$_{2m}$ की मात्रा 28.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41 डीबीए से 54 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32 डीबीए से 41 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 2,590 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3,232 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – 'परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला,

बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

14. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 23/09/2021 प्रातः 11:00 बजे, स्थान – ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना के विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रोलिंग मिल में स्थापित इकाईयों एवं चिमनी की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, सभी ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार में कितनी वृद्धि होगी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
10. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, रॉ–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्रस्तुत किया जाए।

11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40 प्रतिशत वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
12. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
16. गैसीफायर की तकनीकी (कितने कोयले से कितना गैस उत्पन्न होगा) जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोल स्पेशिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
17. इण्डक्शन फर्नेस में प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बैलेंस एवं मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही इण्डक्शन फर्नेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जनित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की विस्तृत गणना कर प्रस्तुत की जाए।
18. उद्योग को प्राप्त होने वाले रॉ–मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
19. वर्तमान प्रस्तुत प्लांट ले–आउट में लेडल फर्नेस दर्शाया गया है, जबकि ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव में लेडल फर्नेस का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। साथ ही प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
20. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत 4688.47 लाख रुपये का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2331/मु./तक./छ.ग.प.सं.म./2021 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/07/2021 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु को जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत किरना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया गया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, रोलिंग मिल के साथ कोल गैसीफायर का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, गैल्वेनाइजिंग इकाई का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, स्टोरेज एवं आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर, वॉटर रिजर्वायर एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल 4.426 हेक्टेयर तथा अन्य क्षेत्रफल 1.364 हेक्टेयर है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 325 टन प्रतिदिन का 3 नग रोलिंग मिल स्थापित किया गया है, जिसमें चिमनी की ऊंचाई 47 मीटर (इण्डियन कोल के लिए) एवं 41 मीटर (इम्पोर्टेड कोल के लिए) की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

7. वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 100 है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कार्यरत श्रमिकों की संख्या 150 होगी।

8. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, सभी ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

Identified Impacts	Mitigation Measures
Raw Material Transpotation	Covered Trucks
Unloading of Raw Material	Dust Suppression System (Fog type and Water Spray System)
Raw Material Conveying	Covered Conveyers to Prevent Flying of Dust During conveying
Coal handling Plant	Dust extraction System with Bag filters
Coal Transfer Points	Dust Extraction System with Bag filters
Stacks Emissions	Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) will be provided to Induction Furnace to bring down the PM to 30mg/Nm^3
Vehicular Movement	All Internal Roads will be made pucca Avenue Plantation will be Developed on both sides of Villages Roads and Internal Roads

9. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना एवं प्रदूषण भार में वृद्धि संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

Incremental Ground Level Concentration due to proposed expansion proposal				
Particular	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	SO_2 ($\mu g/m^3$)	NO_2 ($\mu g/m^3$)	CO ($\mu g/m^3$)
Maximum baseline conc. in study area	65.3	10.2	19.5	1,253
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to **the proposed expansion**	0.86	4.4	5.3	-
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to **Vehicular emissions from the proposed expansion**	0.49	–	3.8	2.1
Net resultant concentration during operation of **the proposed expansion**	66.65	14.6	28.6	1,255.1

10. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, री–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ई.टी.पी. से प्राप्त स्लज के ड्राई डिस्पोजल (Dry Disposal) के लिए फिल्टर प्रेस लगाया जाएगा तथा प्राप्त अवशेष को वृक्षारोपण हेतु खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा।

11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आगामी मानसून में निर्धारित संख्या में पौधों का रोपण किया जाए।

12. कुल क्षेत्रफल के 4.426 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 10,22,490 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,86,900 रूपये, खाद के लिए राशि 48,690 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 9,73,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 25,31,880 रूपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त कुल राशि 17,16,188 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा कुल 33.2 मेगावॉट विद्युत खपत होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का 1 नग का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है। अतः **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. उद्योग से निकले वाली काले धूऐं के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

    ii. दूषित जल की निकासी उद्योग के बाहर करने से आस–पास के क्षेत्र की फसलें प्रभावित हो रही है। इस बाबत मुआवजा दिया जाना चाहिए।

iii. उद्योग द्वारा सामाजिक विकास का कार्य किया जाना चाहिए।

iv. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इण्डक्शन फर्नेस में बेग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल को कोल गैसीफायर से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम होगी।

ii. प्रस्तावित इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा, जहां से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है तथा औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जाएगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इकाईयों एजेंसियों द्वारा सूचित करने पर हमारे द्वारा समुचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

iii. सामाजिक उत्थान हेतु आस–पास के निवासियों की सहायता की जा रही है तथा भविष्य में भी की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना के स्थापना कार्य के दौरान लगभग राशि रुपये 37 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे शाला भवन जीर्णोद्धार, निस्तारी व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, कौशल विकास, छात्रवृत्ति, मेडिकल कैम्प तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों में से बिन्दु क्रमांक तीन के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित कार्य हेतु त्रिपक्षीय समिति (उद्योग प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीण एवं जिला प्रशासन) गठित कर समिति की निगरानी में प्रस्तावित कार्य कराया जाए।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4688.47	1%	46.88	Following activities at nearby proposed site	
			Pavitra Van Nirman	22.07

			Environmental library with almirah in schools	6.00
			Drinking Water facility	5.60
			Running water facilities in schools	1.80
			Plantation in schools	2.48
			Total	**37.95**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,08,180 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,45,800 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 3,53,280 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 10,90,260 रूपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त कुल राशि 11,16,875 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मनोहरा के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 393/1, क्षेत्रफल 2.43 हेक्टेयर) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत मनोहरा द्वारा दिनांक 30/03/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा के लिए राशि रुपये 6 लाख, बाउंड्री के चारो तरफ वृक्षारोपण के लिए राशि रुपये 2.48 लाख, रनिंग वॉटर के लिए राशि रुपये 1.80 लाख एवं पीने योग्य पानी के लिए राशि रुपये 5.60 लाख का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिस हेतु प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला किरना, प्रधान पाठक, नवीन प्राथमिक शाला किरना, संकुल समन्वय, संकुल स्त्रोत केंद्र निनवा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मेहरसाखा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कुथरेल एवं प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रेता से सहमति प्राप्त कर, प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सी.ई.आर. की शेष राशि रुपये 8.94 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा की जाए।

17. प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनशेसन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। प्रस्तावित गैसीफायर की क्षमता 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर होगी, जिसमें रॉ–मटेरियल के रूप में इण्डियन कोल 21,500 टन प्रतिवर्ष अथवा इम्पोर्टेड कोल 13,700 टन प्रतिवर्ष कोयला खपत होगी। इससे उत्पन्न ठोस अवशिष्ट की मात्रा सिण्डर 9,680 टन प्रतिवर्ष एवं टार 461 टन प्रतिवर्ष होगी। कोल स्पेसिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. इण्डक्शन फर्नेस में प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बैलेंस एवं मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की साथ ही इण्डक्शन फर्नेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जनित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की विस्तृत गणना कर प्रस्तुत की गई है तथा स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 27 मेगावॉट, रोलिंग मिल हेतु 6 मेगावॉट एवं

कोल गैसीफायर हेतु 0.2 मेगावॉट) विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है।

19. उद्योग को प्राप्त होने वाले रॉ–मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. प्लांट में लेडल रिफाईनिंग फर्नेस का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेडल का उपयोग केवल हॉट मेटल को लिक्विड करने के लिए किया जाएगा। साथ ही प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

21. समिति का मत है कि अधिक से अधिक सतही जल (Surface water) का उपयोग किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/इंगाट/हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी./वायर रॉड/पत्रा एवं अन्य री–रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईंडिंग वायर, वेड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड डिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना में कोल गैसीफायर का उपयोग किये जाने के कारण संभवतः फिनॉलिक वॉटर उत्पनन होगा। उद्योग के प्रस्तावित प्रस्ताव में किस पद्धति से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा के संबंध में स्पष्टीकरण (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **शिकायत के परिपेक्ष्य में उपसमिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त शिकायत की प्रति दिनांक 08/10/2021 को प्रेषित किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

सरपंच, ग्राम पंचायत पिपरतराई, खरगहनी, खुरदुर, खरगहना, छेरकाबांधा, गोकुलपुर, भरारी, पथर्रा एवं उपसरपंच, ग्राम पंचायत खरगहनी द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 05/10/2021 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति पर आपत्ति बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आस–पास के सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों को आपत्ति है, क्योंकि कोल वॉशरी स्थापित किये जाने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे आस–पास के गांवों में निवासरत् लोगो के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।
- वॉशरी से निकलने वाले डस्ट के कारण किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी, पानी प्रदूषित होगा। सड़कों पर बड़ी वाहनों के आवागमन से भारी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहेगी।
- वॉशरी में कोयले को धोने हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा जिससे उन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला जाएगा, जिसके कारण पेयजल एवं खेतों में सिंचाई के साधनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पथर्रा एवं खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर से 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं हरिभूमि समाचार पत्र गांव में नहीं पहुँच पाता है, प्रकाशन दिनांक से 1 माह तक परियोजना के संबंध में सुझाव टीका टिप्पणीयां एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। जो कि हम ग्रामवासी पथर्रा एवं खरगहनी को छल करने के लिए अथवा खानापूर्ति करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन के साथ ही पथर्रा एवं खरगहनी ग्राम पंचायत को पत्र के माध्यम से सूचनार्थ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानकारी के अभाव में प्रभावित ग्राम वासियों के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी।
- कुछ अज्ञात बाहरी व्यक्तियों द्वारा सहमति दर्ज कराई गई। जो कोल वॉशरी के मेनेजर द्वारा लाए गये बाहरी व्यक्ति थे। जिनके सहमति (समर्थन) को निरस्त (शून्य) घोषित किया जाए। क्योंकि वे सभी प्रभावित स्थल से लगभग 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बाहर रहने वाले व्यक्ति है। जो कि श्री प्रेमलाल

साहू स्वयं को ग्राम भरारी का निवासी बताते हुये बॉक्साईट खुलने में सहमति दर्ज कराया है, जबकि भरारी के सरपंच का कहना है कि मेरे जानकारी अनुसार यह व्यक्ति ग्राम पंचायत भरारी का नहीं है। अतः यह पूर्णतः असत्य है। इस लिए इस व्यक्ति द्वारा बॉक्साईट हेतु दिये गये सहमति को निरस्त (शून्य) घोषित किया जाए।

- जितने भी बाहरी व्यक्ति द्वारा बॉक्साईट के संबंध में समर्थन दर्ज कराया गया है। उनके नाम तथा पता इस प्रकार है श्री योगेश ग्राम–गनियारी, श्री राजेश कौशिक ग्राम–गोकुलपुर, श्री प्रेमलाल साहू ग्राम–भुण्डा भरारी, श्री धर्मेन्द्र केवट ग्राम–बेलाटुकरी, श्री रामू साहू ग्राम–गनियारी यह सभी व्यक्ति बॉक्साईट में काम करने वाले मजदूर है। जिसे बॉक्साईट के मेनेजर द्वारा लाया गया था। जिसकी जाँच की जाए तथा इसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र की छायाप्रति ग्राम पंचायत पथरी एवं समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच को प्रदान किया जाए। समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्राम वासियों द्वारा किये गये विरोध आपत्तियों को प्राथमिकता दिया जाए एवं बॉक्साईट स्थापित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अन्यथा इसके स्थापना से 5 किलोमीटर के भीतर आने वाले 8 ग्राम पंचायतों के लगभग 50,000 हजार जनसंख्या के जन जीवन एवं स्थानीय जीव–जन्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जाँच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 08/03/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 09/03/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

स्थल निरीक्षण उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण किया गया। शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में पाई गई स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है –

1. मेसर्स महावीर कोल बॉशरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यथोचित उपाय करेंगे जैसे कि 4 मीटर बाउण्ड्रीवाल के साथ विंड वॉल, रेन गन लगाया जायेगा।

2. कोल बॉशरी द्वारा आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा, जिससे धूल नहीं उड़ेगी।

3. कवर्ड ट्रकों से कोल का परिवहन किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत पथर्रा द्वारा दिनांक 22/09/2019 एवं ग्राम पंचायत खरगहनी द्वारा दिनांक 21/05/2020 को परियोजना हेतु अनापत्ति प्रदान की गई।

5. परिसर के चारो ओर पर्याप्त ग्रीन बेल्ट का विकास किया जायेगा।

उक्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को जानकारी प्रस्तुत की गई थी। जिसमें विभिन्न मुद्दों का निराकरण किया गया है। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1. बॉशरी द्वारा उद्योग परिसर से शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था की जायेगी जैसा की ऊपर वर्णित है।

2. आंतरिक मार्गों में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा।

3. अगर प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या होती है, तो ग्राम वासियों के साथ बैठकर हल निकाला जायेगा।

4. सी.एस.आर. के माध्यम से आस–पास के गांवों में कार्य किया जायेगा।

5. जल प्रबंधन एवं जल स्त्रोत के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.जी.डब्ल्यू.बी. (CGWB) से अवज्ञा प्राप्त की गई है। परियोजना सेफ जोन में आती है एवं परियोजक द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत वॉटर रिसायकल किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वॉटर टेबल को मेंनटेन करने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया जायेगा एवं पास के गांव में 02 तालाबों का निर्माण किया जायेगा।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई की विस्तृत जानकारी ग्रामवासियों को जन मुनादी (दिनांक 28/07/2021 से 03/08/2021 तक) कराकर दी गई है। संबंधित ग्राम पंचायतों को पत्र दिनांक 26/03/2021 एवं दिनांक 22/07/2021 के माध्यम से सूचित किया गया था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार एवं विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आपत्ति इस पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है, इन प्राप्त आपत्तियों का समायोजन परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में लिखित एवं मौखिक रूप से निराकरण प्रस्तुत किया। शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य सही नहीं है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्राप्त शिकायत निराकृत मानी जाये।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में उपसमिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया जा रहा है, उल्लेखित तथ्यों के परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. लोक सुनवाई की तिथि से 30 दिन पूर्व, लोक सुनवाई की सूचना के संबंध में तथ्यात्मक अभिलेख निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) एवं उत्पन्न दूषित जल के प्रबंधन हेतु किये जाने वाले उपाय के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
3. सी.एस.आर. के माध्यम से आस–पास के गांवों में कार्यों हेतु कार्ययोजना के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर. के तहत् की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
5. वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण के संबंध में लेख किया जाना आवश्यक है।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु तैयार किये गये कार्ययोजना के संबंध में लेख किया जाना आवश्यक है।
7. आंतरिक मार्गों में जल छिड़काव हेतु व्यवस्था की जानकारी का लेख किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपसमिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में उपरोक्त तथ्यों का समावेश करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार धोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स घौंठाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल), ग्राम–घौंठाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1552)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स घौंठाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल) की ग्राम–घौंठाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 33,037 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का वैधानिक जाँच बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया जाना उल्लेखित है। जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।
- पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन को डम्प की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45° से अधिक ओवर बर्डन डम्प किया जाकर नियम विरूद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है। साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्त्रोत प्रभावित न हो, को रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल तथा गारलेण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है।
- पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बार–बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विरूद्ध है। अतः जाँच कराई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जाँच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/03/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 26/04/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"निरीक्षण के समय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्य डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ तथा श्री अंकुर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा के साथ–साथ श्री उत्तम खूंटे, खनि निरीक्षक, पट्टेदार श्री मातादीन जायसवाल एवं दो खनि सिपाही भी उपस्थित थे।

पत्र में उल्लेखित शिकायत का बिंदुवार विवरण एवं निरीक्षण जाँच में पाई गई जानकारी निम्नानुसार है:–

1) **आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से कम है।**

   समिति द्वारा जाँच करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र से समीपस्थ आबादी की दूरी लगभग 600 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार आबादी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक है।

2) **खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित या संरक्षित वन की सीमा है।**

   समिति द्वारा जाँच करने पर पाया कि लीज क्षेत्र से वन भूमि दूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) पट्टेदार को आवंटित क्षेत्र, वन क्षेत्र की निर्धारित दूरी की सीमा के बाहर है।

3) **खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना उल्लेखित है जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।**

   पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्खनन करने की योजना का उल्लेख है निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पहाड़ीनुमा (small

hillock) में अवस्थित क्षेत्र है। अतः योजना में प्रस्तावित गहराई न होकर ऊंचाई से सम्बंधित है। वर्तमान में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के एक छोटे से भाग में उत्खनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

4) **पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक डंप किया जाकर नियम के विरुद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।**

यह शिकायत का बिंदु माइंस एक्ट एवं सेफ्टी रूल से सम्बंधित है। अतः उसकी जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

समिति के समक्ष यह भी संज्ञान में आया कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

5) **वर्षा जल से सतही जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटर्निंग वाल तथा गारलैंड की व्यवस्था नहीं की गई है।**

स्वीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा जल सतह में आता है, रिटेनिंग वाल तथा गारलैंड बनाया जाना था, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण नहीं किया गया है।

पट्टेदार द्वारा समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि खनिज क्षेत्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्षा जल संचित होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है।

6) **लीज क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डंप किया जा रहा है।**

स्वीकृत लीज क्षेत्र में 4 मीटर के दूरी तक वेस्ट डंप नहीं होना पाया गया है, उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़ा गया है।

7) **वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्घात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इस वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध है।**

खनिज अधिकारी कोरबा द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर 2016 से आज दिनांक तक निर्धारित सीमा 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक खनन का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर

खुदाई के प्रमाण मिले है जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त जाँच के समय पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उपसमिति के सदस्यों द्वारा उल्लेखित किया जाना आवश्यक समझा गया वो निम्नानुसार है:

- लीज क्षेत्र के चारो और केवल सीमा स्तम्भ स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्षेत्र के चारो ओर में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन पाया गया है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष्य में ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से तथा स्लोप के संबंध में जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर में वृक्षारोपण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
3. बिन्दु क्रमांक 5 के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण नहीं किये एवं बिन्दु क्रमांक 6 के परिपेक्ष्य में उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
4. बिन्दु क्रमांक 7 के परिपेक्ष्य में आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है, जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारो ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किये जाने के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **श्री पूरण लाल निषाद, निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर, एस.के. बेकरी के समीप, जिला–रायपुर द्वारा अवैध ईंट भट्ठा संचालन (मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थवेयारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव)) को बंद करवाने हेतु प्राप्त शिकायत के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 92898/2019, दिनांक 25/01/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य में श्री पूरण लाल निषाद द्वारा दिनांक 22/04/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

श्री पूरण लाल निषाद द्वारा दिनांक 22/04/2022 के माध्यम से बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये अवैध रूप से ईंट भट्ठा संचालन किये जाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा जारी ऑनलाईन ई.डी.एस. के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

- मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थवेयारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव) द्वारा वर्ष 2020–21 में बिना लीज एवं बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदित खसरा में अवैध रूप से फिक्स चिमनी का निर्माण करवा कर ईंट निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ से सवा करोड़ ईंट निर्माण किया जा रहा है एवं बड़े पैमाने पर जी.एस.टी., रॉयल्टी भी

- मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थवेयारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव) की पत्नि श्रीमती रेखा यदु के नाम से एक और ईंट भट्ठा है, जिसका रकबा 0.57 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 596/1, 2, 4, 620/1 में भी उत्खनन क्षमता सवा चार लाख है, से लगभग 1 करोड़ ईंट 6 माह में दिसम्बर से जून माह तक ईंट निर्माण की जा रही है एवं विक्रय किया जा रहा है।

- उक्त दोनों ईंट भट्ठों से भारी मात्रा में अवैध रूप से ईंट का निर्माण किया जा रहा है एवं पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह रेत उत्खनन ग्राम–बेरलाकला में पंचायत एवं पंचो द्वारा मिल करके अवैध उत्खनन किया जा रहा है।

- अतः इस अवैध उत्खनन को तत्काल एवं अतिशीघ्र बंद करायें तथा अवैध लीज धारकों पर उचित कार्यवाही की जायें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को सम्पन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त तथ्यों की जाँच कराये जाने एवं जाँच उपरांत उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र प्रेषित किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा एवं हिरमी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 900)

आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37500/ 2019, दिनांक 21/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में श्री संतोष कुमार पाठक, सरपंच एवं श्री राजेश वर्मा, उपसरपंच, ग्राम पंचायत मोहरा द्वारा दिनांक 04/05/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 107 दिनांक 25/04/2022 द्वारा मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा में खसरा क्रमांक 146, 147, 148, 149, 150, 168/1, 2, 3 एवं 4, 169, 170/1, 2, 3, 4 एवं 5, 171, 172/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, 173, 174/1 एवं 2, 175, 176, 177/1 एवं 3, 178, 179/1 एवं 2, 180, 181/1, 2 एवं 3, 182/1 एवं 6, 183, 184 तथा ग्राम–हिरमी में खसरा क्रमांक 872/2, 856, 855/3, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित कुल क्षेत्रफल – 67 एकड़ (27.129 हेक्टेयर) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स/एम.एस.इंगाट्स) (5 गुणा 10 टन) क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/ स्ट्रक्चरल स्टील/ रोल्ड प्रोडक्ट्स) (1 गुणा 500 टन प्रतिदिन) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट तथा एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

समस्त ग्रामवासी मोहरा द्वारा मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा एवं हिरमी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा, प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट क्षमता 62,700 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति के निरस्तीकरण बाबत् प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. उद्योग की स्थापना हेतु प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट में नेबेट सलाहकार इन्वायरोमेंट लेबोरेटरी मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड

कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा बेसलाईन डाटा संग्रहण हेतु प्रस्तुत मॉनिटरिंग डाटा के तथ्य पूर्णतः असत्य है।

2. ग्राम मोहरा में उक्त तिथि में किसी भी तरह के उपकरण लगाकर बेसलाईन डाटा संग्रहण हेतु वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी आदि की गुणवत्ता की जाँच कभी की ही नहीं गई है। साथ ही जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग ई.आई.ए. रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उनके फोटोग्राफ अक्षांश एवं देशांतर के साथ भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है।

3. उद्योग की स्थापना करने के लिए आयोजित जन सुनवाई में 5 कि.मी. क्षेत्र में स्थित समस्त ग्रामों जिनमें मोहरा, हिरमी, बार्डिंग, केवटरा, छछानपाहरी आदि ग्रामों के समस्त ग्राम वासियों के द्वारा उद्योग की स्थापना का घोर विरोध किया गया था। अतः जन सुनवाई के दौरान स्थल में किए गये विडियोग्राफी कर संज्ञान लिया जाए। जिससे वस्तु स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाए।

4. यह क्षेत्र पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है, जिसमें समस्त कृषक जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है, स्पंज ऑयरन प्लांट के खुलने से न सिर्फ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषित होगी, अपितु प्रस्तावित भूमिगत जल के उपयोग से हमारे क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर में भी भारी कमी होगी। प्रदूषित मृदा एवं वायु प्रदूषण से कृषि उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होगी।

उद्योग के स्थापना करने हेतु स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए। अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे स्थापना सम्मति (CTE), संचालन सम्मति (CTO) न प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद से उत्तर प्राप्त किया जाए।

मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद को तदानुसार लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़